

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर  
क्रमांक: प.(ग)(नविक)नियम/डीएलबी/2010/10140  
अधिसूचना

दिनांक: 31/08/15

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्याक 18) की धारा 337 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक प. 8(ग)(३२७)नियम/स्वाशा/1995/5944 दिनांक 29.08.2007 में वर्णित चैरिटेबल ट्रस्ट की समर्त सम्पत्ति (वाणिज्यिक उपयोग सहित) के बारे में निम्नप्रकार स्पष्टीकरण जारी करती है:-

चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे ट्रस्ट को समझा जायेगा जिसका गठन चैरिटेबल गतिविधियों के प्रयोजनार्थ हुआ हो एवं वह राजस्थान राज्य में प्रवृत्त किसी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो। चैरिटेबल प्रयोजन के तहत ऐसे क्रियाकलाप माने जायेगे जो लाभ रहित, सामान्य लोक प्रयोजनार्थ किये जाते। ऐसे—धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, पशु-पक्षियों की विश्वासा निवारण, जनाधिकार के लाभ, सुधार अथवा उन्नयन हेतु अथवा अन्य समरूप उद्देश्य। अतः निम्नाकिंत प्रयोजनार्थ स्थापित चैरिटेबल ट्रस्ट के भूमि एवं भवन को कर मुक्त रखा जाता है:-

1. अनाथ सेवा आश्रम, वृद्ध आश्रम, पेशनर्से रेस्ट हाउस, महिला आश्रम।
2. अपाहिज, अपंग, मूक-बधिर, अंध विद्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र व ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचालित रोजगार केन्द्र।
3. गौशाला, कुष्ठ आश्रम, प्राकृतिक चिकित्सालय एवं योग साधना केन्द्र, रैन बसेरा आदि समिलित हो सकते हैं।
4. सार्वजनिक जल केन्द्र (याऊ) / सार्वजनिक मूत्रालय एवं सौचालय।
5. प्रेस क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, रिडिंग रूम (सार्वजनिक वाचनालय)।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पुरुषोत्तम वियाणी)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.(ग) (नविक) नियम/डीएलबी/2010/10141-10553 दिनांक: 31/08/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज०जयपुर
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज०जयपुर
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग राज०जयपुर
04. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष/, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं
05. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय, समस्त राजस्थान
06. आयुक्त/अधिकारी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त राजस्थान।
07. समस्त अधिकारी निदेशालय स्थानीय निकाय।
08. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज०जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज० राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी